<u>माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन पर 30-31 जुलाई, 2014 को आयोजित मार्गदर्शी कार्यशाला के निष्कर्ष</u>

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन पर 30-31 जुलाई, 2014 को राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल में दो द्विसीय मार्गदर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से एनसीईआरटी की घटक इकाई पीएसएस केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई) द्वारा आयोजित की गई थी।

कार्यशाला के निम्नलिखित उद्देश्य थे: (i) प्रगति की समीक्षा करना और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों और चुनौतियों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन करना (ii) व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से जोड़ने, उद्योग इंटरफेस, छात्रों की समानान्तर और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता एवं मूल्यांकन तथा अवसंरचना सत्यापन संबंधी कार्यनीतियों पर विमर्श (iii) उत्तम कार्यप्रणाली की पहचान (iv) मुद्दों के समाधान की कार्य योजना तैयार करना और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यनीतिक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना।

प्रोफेसर विनय स्वरूप महरोत्रा, अध्यक्ष, पाठ्यचर्या विकास एवं मूल्यांकन केन्द्र और एनएसक्यूएफ सेल पीएसएससीआईवीई, भोपाल द्वारा अवसंरचना, अध्ययन योजना उद्योग के साथ संबंध, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन एवं नियोजन (प्लेसमेंट) में एनएसडीएस और क्षेत्र कौशल परिषद की भूमिका सहित योजना की केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर खुली चर्चा समन्वित की गई।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राज्य स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र कौशल परिषद और कौशल विकास से जुड़े सिविल सोसायटी संगठन प्रतिभागी थे।

<u>कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित कार्यबिन्दु उभर कर आए</u>

1. ज़मीनी स्तर पर राज्य शिक्षा विभागों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और उद्योग के बीच समन्वित एवं समग्र प्रयास की आवश्यकता।

2. यह पाया गया कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विषय (6 विषय) और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा की 'विषय योजना' को अनिवार्य रूप में पढ़ाया जाना कुछ राज्यों में अभी लागू किया जाना है। कर्नाटक, गोवा, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश सातवें विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा जारी रखेंगे।

3. यह दोहराया गया कि यदि पहले पूर्वापेक्षा के रूप में व्यावसायिक शिक्षा को अन्य शैक्षणिक विषयों के बराबर माना जाता है तो 'विषय योजना' में इसे समान दर्जा दिया जाए। यह छात्रों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता बनाने के लिए भी जरूरी है। यदि व्यावसायिक शिक्षा सातवें विषय के रूप में पढ़ायी जाती है तो पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यह न केवल व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता होगा अपितु ज्यादा विषयों के साथ छात्रों पर और अधिक भार लादना होगा।

4. राज्य प्रतिनिधि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता बनाने के लिए क्रेडिट अवसंरचना की आवश्यकता, प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रत्यायन हेतु मानकों को भी मुख्य रूप से सामने लाए।

5. चूंकि, योजना के तहत हर वर्ष छात्रों की संख्या बढ़ रही है अत: यह सुझाव दिया गया कि छात्रों को उनके कार्यक्षेत्र में जाने या ऊर्ध्व गतिशीलता जानने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित की जाए।

6. एक ही समय में छात्रों का बड़ी तादाद का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की गुणवत्ता और क्षेत्र कौशल परिषद की क्षमता के संबंध में भी चिंता व्यक्त की गई। राज्यों ने मूल्यांकनकर्ताओं की अर्हताओं और मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देशों सहित मूल्यांकन के मानक निर्धारित करने की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए।

7. यह महसूस किया गया कि IX कक्षा के बाद के 04 वर्षों में स्तर IV पर जोड़े गए कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम/योग्यताएं छात्रों की शिक्षा में गिरावट के प्रति

उत्तरदायी नहीं होंगे। अत: कुछ पाठ्यक्रमों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शुरू करने की अनुमति दी जाए।

8. जहां तक कार्यान्वयन भागीदारों को जोड़ने का संबंध है, यह स्पष्ट किया गया कि हालांकि, 'कार्य' कौशल ज्ञान प्रदाताओं को सौंपा तो जा सकता है परंतु कार्यान्वयन संबंधी 'अंतिम उत्तरदायित्व' राज्य सरकार का होगा।

9. विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कपड़ा, वस्त्र, चमड़ा आदि में 'डिजाइन' का व्यावसायिक पाठ्यक्रम, में योग्यता पैक्स कम करने की आवश्यकता भी व्यक्त की गई है। यह योग्यता कपड़ा, वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

10. इस योजना के तहत समाविष्ट स्कूलों में स्टार (एसटीएआर) योजना एवं वीएचएसई की सीएस योजना के एकसाथ कार्यान्वयन के मुद्दे पर चर्चा की गई और यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जहां भी प्रशिक्षण प्रदाता रखे गए हैं वहां यदि उन्हीं प्रशिक्षण प्रदाताओं को एनएसडीसी की स्टार योजना में भी पंजीकृत किया गया है तो योजना के तहत वित्त-पोषित छात्रों को प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा बतौर 'उपलब्धि' नहीं दर्शाया जाए क्योंकि इससे गणना दोहरी हो जाएगी।